कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल ।

निविदा सूचना का विवरण

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष, 2015 में कैलाश मानसरोवर यात्रा /आदि कैलाश यात्रा में सम्मलित होने वाले यात्रियों को छोटे वाहनों से धारचूला –नारायण स्वामी आश्रम तक पहुँचना व वापसी में नारायण स्वामी आश्रम से धारचूला लाने हेतु सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है । निविदायें पर्यटक आवास गृह, धारचूला में दिनांक 1.6.2015 को टेण्डर बॉक्स मे 2.00 बजे तक डाली जायेगी जो उसी दिन 3.00 बजे अपराहन गठित समिति द्वारा उपस्थित टेण्डरदाताओं के सम्मुख खोली जायेगी । निविदा की शर्ते व आवेदन प्रारूप निगम के पर्यटक आवास गृह, धारचूला से निर्धारित आवेदन शुल्क रू0 1,000.00+ वैट जमा कर प्राप्त की जा सकती है । विस्तृत जानकारी हेतु निगम की वेवसाईट www.kmvn.gov.in में देखी जा सकती है ।

प्रबन्ध निदेशक को किसी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

प्रबन्ध निदेशक

नियम व शर्तें :–

1– टेण्डरदाता के पास कम से कम 2 टैक्सीयां अपने नाम होना अति आवश्यक है ।

2– टेण्डरदाता पंजीकृत टैक्सी यूनियन, धारचूला जिनके वाहन धारचुला–गार्वधार–नारायण आश्रम मोटर मार्ग मे संचालित किये जाते है का सदस्य होना चाहिए । सदस्यता की छाया प्रति लगानी आवश्यक है ।

3– टेण्डर दाता का पैन नम्बर (PAN NO.) होना अनिवार्य होगा ।

4– टैक्सीयों के टेण्डर मे उपरारेक्त यूनियन के बहार के ठेकेदारों को टेण्डर डालने का अधिकार नही होगा ।

5– ठेकेदार के पास टैक्सी 5 वर्ष से पूर्व की नही होनी चाहिए ।

6– टैक्सी (वाहन) के पेपर टेण्डर फार्म के साथ (छाया प्रति) जमा करना होगा ।

7– समस्त टैक्सी चालको का व्यवहार यात्रियों के साथ मधुर होना चाहिए । यदि किसी चालक द्वारा यात्रियों से दुर्वव्यवहार किया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

8– चालक का ड्राईविंग लाईसेन्स व्यवसायिक एवं वैध होना चाहिए । इसको छाया प्रति टेण्डर फार्म के साथ दिया जाना अनिवार्य होगा ।

9– वर्षा काल के दौरान मार्ग बन्द होता है तो ट्रान्सिपमैन्ट कि व्यवस्था तुरन्त ठेकदार को करनी होगी । यदि कोई व्यवधान हुआ तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी टेण्डरदाता की होगी ।

10– निविदा के साथ रू0 50,000.00 मात्र धरोहर राशि का ड्राफ्ट कैलाश मानसरोवर यात्रा, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, धारचूला के नाम देय होगा को निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा । टेण्डर स्वीकृत होने के पश्चात टेण्डरदाता कार्य करने मे असमर्थ होता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी ।

11– टेण्डर होने के पश्चात स्वीकृत निविदा के टेण्डरदाता को जमानत राशि के रूप में रू0 1.00 लाख मात्र एफ0डी0आर0 जो निगम के नाम बन्धक होगी जमा करना होगा ।

12– वाहनों का रजिस्ट्रेशन नम्बर/चालकों का व्यवसायिक ड्राइविंग लाईसेन्स होना अनिवार्य है ।

13– अन्य शर्तो का उल्लेख अनुबन्ध मे किया जायेगा ।

आवेदन पत्र का प्रारूप

1– आवेदक का नाम ....

2– पिता का नाम ....

3– पूरा स्थायी पता ....

....

....

4– पत्र व्यवहार का पता ....

....

....

5– फोन नं0 .... मोबाईल नम्बर ....

6– वाहन स्वामी का पैन नं0 (PAN NO.) ....

7– धरोहर राशि का विवरण रू0 .... बैक का नाम .... दिनांक ....

8– टेण्डर फार्म की राशि रू0 .... रसीद सं0 .... दिनांक ....

9– टैक्सी यूनियन का पंजीकृत संख्या ....

10– वाहन का प्रकार टैक्सी/जीप ....

11– ट्रान्सपोर्ट की दर :–

1– धारचूला से नारायण स्वामी आश्रम (Oneway) रू0 ....

2– धारचूला से नारायण स्वामी आश्रम (Bothway) रू0 ....

नोट :– A – दरो का उल्लेख स्पष्ट रूप से करे ।

B- धारचूला से नारायण स्वामी आश्रम के बीच मार्ग अवरूद्व होता है तो ऐसी दशा में टेण्डरदाता द्वारा यात्रियों को ले जाने व वापस लाने के लिये दी गयी दरों पर ही कार्य करना होगा ।

C- स्थायी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

मैं घोषण करता हूँ कि कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार ट्रान्सपोर्ट कार्य करने हेतु तैयार हूँ । मुझे निगम की सभी शर्ते मान्य है ।

टेण्डरदाता के हस्ताक्षर